न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व विविध :: 13/2017 ::
जी[illegible]एमएस नं. :: 2017/00217

प्रार्थीगण :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. मनीष ओझा पुत्र भवानीशंकर जाति ब्राह्मण निवासी 184 वीर दुर्गादास नगर, पाली।		1. प्रोजेक्ट मैनेजर एल एण्ड टी कम्पनी कार्यालय 39 मरूधर केशरी नगर पुलिस थाना सदर के पीछे पाली
2. संजय बघेल पुत्र रामशंकरसिंह बघेल निवासी राजेन्द्र नगर विस्तार, पाली		2. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) कार्यालय सर्किट हाउस के पास, गर्ल्स कालेज के सामने, पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 133 दण्ड प्रक्रिया संहिता

अधिवक्ता :– प्रार्थी मनीष कुमार ओझा अनुपस्थित
अप्रार्थीगण की ओर से अंकुर माथुर अनुपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 27.01.2021

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 133 सीआरपीसी के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में रखी तकनीकी खामियों को दूर करने, सुरक्षा साधनों के उपयोग के बिना व आमजन की दुर्घटना में जनहानि व घायलों को उचित मुआवजा दिए बिना टोल प्रारम्भ नहीं करने हेतु पेश की गई। जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर निर्णय दिनांक 20.08.2015 को किया गया जिसकी रिवीजन अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा माननीय अपर सेशन न्यायाधीश पाली के न्यायालय में प्रकरण संख्या 43/2017 मनीष ओझा बनाम प्रोजेक्ट मैनेजर पेश किया तथा निर्णय दिनांक 26.04.2017 के द्वारा न्यायालय के प्रकरण संख्या 21/2015 अर्न्तगत धारा 133 सीआरपीसी निर्णय दिनांक 20.08.2015 को निरस्त कर निर्णय के अन्तिम पैरा में अंकित दो बिन्दुओं पर पुनः सुनवाई हेतु रीमाण्ड की गई। प्रकरण इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्ष को तलब किया गया वक्त बहस उभयपक्ष पैरवी हेतु अनुपस्थित होन से दोनों को आवाजें लगवाई गई दोनों अनुपस्थित रहने से प्रकरण का बाद अवलोकन गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है। तथा वकील अप्रार्थी 2 की और से जवाब प्रार्थना पत्र व कानूनी आपतियां दिनाँक 29.06.2017 को प्रस्तुत कीया गया है। तथा सर्विसरोड़ व स्लिपरोड पूरी करने सम्बन्धी प्रत्युत्तर भी प्रेषित किया तथा साथ ही कार्य प्रगति पर होना बताया। बिन्दु संख्या एक के सम्बन्ध में प्रगति रिपोर्ट पेश की तथा 26 स्लिप रोड का निर्माण होना था उसमें से 24 पूर्ण होना था मंडली तथा बागावास सर्विस व स्लिप रोड होना बाकी बताया था तथा बाद में उनके भी कार्य पूर्ण कराने में प्रगति बाबत फोटोग्राफ पेश किए गए है। जो संलग्न पत्रावली है। बिन्दु संख्या 2 में शहरी व आबादी क्षेत्र में रेलिंग लगाने का प्रावधान संविदा में नहीं होना बताया है। जो प्रावधान संविदा में नहीं हैं उनके सम्बन्ध में कोई आदेश पारित करना विधिविरूद्ध है।

सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजमार्ग निर्माण के समय रही तकनिकी खामियों व सुरक्षा साधनों के उपयोग के बिना टोल प्रारम्भ नहीं किया जावे। पूर्व में तकनिकी जांच करवा कर सुरक्षा साधनों का प्रयोग करवाने तथा अब तक हुई दुर्घटनाओं में घायलों को उचित मुआवजा दिलवाने सर्विस व स्लिपरोड निर्गाण कराने सांकेतिक बोर्ड लगाने आबादी स्थानों में सड़के के पास रेलिंग लगाने सड़क पर पेड़ लगवाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त सभी प्रकार के कार्य सीआरपीसी की धारा 133 न्यूसेस की परिभाषा में नहीं आते है। उक्त धारा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि लोक न्यूसेस के अर्जेन्ट मामले जिनमें तुरंत कार्यवाही किया जाना जरूरी [illegible] मजिस्ट्रेट उचित आदेश पारित कर सकता है प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण [illegible] राष्ट्रीय राजमार्ग ब्यावर से पिण्डवाड़ा हाइवे में पाली शहर में गुज[illegible] करवायी गयी फोरलेन की तकनिकी खामियों के कारण [illegible] लोगों की मृत्यु होना [illegible]र किया है। उखाड़े गए पेड़ों के स्थान पर नए पेड़ लगाने [illegible] भी उल्लेख किया है। [illegible] रोड़/अन्डर पास निर्माण सही तरीके से नहीं करवाने का उल्लेख करते हुए जब तक तकनिकी खामियां दूर नहीं हो जाये टोल की वसूली रोके जाने का निवेदन किया है। तथा उक्त समस्त कारणों से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:46:56 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश..........2

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 का स्कोप बनाकर यह प्रकरण पेश किया गया है जो धारा 133 की परिधी में नहीं होने से निरस्त योग्य है। शहरी व आबादी क्षेत्र में रेलिंग लगवाने के प्रावधान संविदा में है या नहीं यह भी धारा 133 सीआरपीसी की परिधि में नहीं आता है।

मौके पर राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य लगभग पूरा हो चूका है तथा उस पर यातायात भी सुचारू रूप से चलना प्रारम्भ हो गया है राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल वसूली का कार्य भी सुचारू रूप से जारी है। धारा 133 सीआरपीसी के अन्तर्गत निम्न परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी बाद सुनवाई व साक्ष्य के न्यूसेन्स हटाने के आदेश दे सकता है–

(क) किसी लोक स्थान या किसी मार्ग, नदी या जसरणी से, जो जनता द्वारा विधिपूर्वक उपयोग में लाई जाती है या लाई जा सकती है, कोई विधिविरूद्ध बाधा या न्यूसेन्स हटाया जाना चाहिये।

(ख) किसी व्यापार या उपजीविका को चलाना या किसी माल या पण्य वस्तु को रखना समाज के स्वास्थ्य या शारीरिक सुख के लिए हानिकर है और परिणामतः ऐसा व्यापार या उपजीविका प्रतिषिद्ध या विनियमित की जानी चाहिये या ऐसा माल या पण्य वस्तु हटा दी जानी चाहिये या उसका रखना विनियमित किया जाना चाहिए, अथवा

(ग) किसी भवन का निर्माण या किसी पदार्थ का व्यसन, जिससे सम्भाव्य है कि अग्निकाण्ड या विस्फोट हो जाए, रोक दिया या बन्द कर दिया जाना चाहिये, अथवा

(घ) कोई भवन, तम्बु, सरंचना या कोई वृक्ष ऐसी दशा में है कि सम्भाव्य है कि वह गिए जाए और पड़ोस में रहने या कारबार करने वाले या पास से निकलने वाले व्यक्तियों को उससे हानि हो, और परिणामतः ऐसे भवन, तम्बू या संरचना को हटाना, या उसकी मरम्मत करना या उसमें आलम्ब लगाना, या ऐसे वृक्ष को हटाना या उसमें आलम्ब लगाना आवश्यक है, अथाव

(ड़) ऐसे किसी मार्ग या लोकस्थान के पार्श्वस्थ किसी तालाब, कुए या उत्खात को इस प्रकार से बाड़ लगा दी जानी चाहिये कि जनता को होने वाले खतरे का निवारण हो सके, अथवा

(च) किसी भयानक जीवजन्तु को नष्ट, परिरूद्ध या उसका अन्यथा व्ययन किया जाना चाहिये, तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी बाधा या न्यूसेन्स पैदा करने वाले या ऐसा व्यापार या उपजीविका चलाने वाले या किसी ऐसे माल या पण्य वस्तु को रखने वाले या ऐसे भवन, तम्बू, संरचना, पदार्थ तालाब, कुए या उत्खात को स्वामित्व या कब्जा रखने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा करते हुए सशर्त आदेश दे सकता है कि उतने समय के अंदर, जितना उस आदेश में नियत किया जायेगा, वह–

(प) ऐसी बाधा या न्यूसेन्स को हटा दे, अथवा

(पप) ऐसा व्यापार या उपजीविका चलाना छोड़ दे या उसे ऐसी रीति से बन्द कर दे या विनियमित करे, जैसी निर्दिष्ट की जाए अथवा ऐसे माल या पण्य वस्तु को हटाए या उसको रखना ऐसी रीति से विनियमित करे जैसी निर्दिष्ट की जाए, अथवा

(पपप) ऐसे भवन का निर्माण रोके या बन्द करे, या ऐसे पदार्थ के व्ययन में परिवर्तन करे, अथवा

(पअ) ऐसे भवन, तम्बु या संरचना को हटाए, उसकी मरम्मत कराए या उसमें आलम्ब लगाए अथवा ऐसे वृक्षों को हटाए या उनमें आलम्ब लगाए, अथवा

(अ) ऐसे तालाब, कुए या उत्खात को बाड़ लगाए, अथवा

(अप) ऐसे भयानाक जीवजन्तु को उस रीति से नष्ट करे, परिरूद्ध करे या उसकी व्ययन करे, जो उस आदेश में उपबन्धित है,

हमारी दृष्टि में हस्तगत प्रकरण में उपरोक्तानुसार किसी प्रकार का प्राकृतिक न्यूसेन्स उत्पन्न होना सिद्ध नहीं है कि धारा 133 सीआरपीसी के तहत त्वरित कार्यवाही कर न्यूसेन्स हटाने के आदेश जारी किये जाये जिस कारण धारा 133 दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 133 सीआरपीसी के तहत मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:46:56 IST
Reason: SelfAttested

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली